न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 24 / 2019

उनवान

1. शोरता पुत्री उगमा पत्नी सांवरा जाति रावत निवासी ग्राम देराठू हाल निवासी माताजी का खेडा चांवडिया

—— वादीगण :– ज़रियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बज्जा पुत्र छीतर रावत
2. देवी पुत्री छीतर रावत
3. राजू पुत्र छीतर रावत
4. पप्पू पुत्र छीतर रावत
5. तीजा पुत्री छीतर रावत
6. संगीता पुत्री छीतर रावत
7. आपू पत्नी गोपी रावत
8. रामदेव पुत्र गोपी रावत
9. दारा सिंह पुत्र गोपी जाति रावत निवासी ग्राम देराठू
10. कमला पुत्री उगमा पत्नी लाला जाति रावत निवासी चैनपुरा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :– 20.5.19

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम देराठू में वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी / सहकाश्तकारी की पुश्तैनी आराजियात स्थित है। जिसके खाता संख्या 40 / 38 खसरा नम्बर 3486, 3487, 3511, 3867, 3907, 3939, 3939 / 7007, 4226 रकबा 0.16, 0.13, 0.24, 0.17, 0.65, 0.08, 0.02, 0.18 है। वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1 / 6 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी मुतनजा आज दिनांक तक अविभाजित है। तथा प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात का बिना बॅटवारा कराये रहन, बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को आराजियात ... करने हेतु निवेदन किया। व

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 12:22:18 IST
Reason: SelfAttested

स्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11 ने अपने जवाब में जाहिर किया की वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

प्रकरण में वाद के समर्थन में जवाब प्रेषित नहीं होने व वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी संवत 2073–76 दस्तावेज प्रस्तुत किये।
वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा खाता संख्या 40/38 खसरा नम्बर 3486, 3487, 3511, 3867, 3907, 3939, 3939/7007, 4226 रकबा 0.16, 0.13, 0.24, 0.17, 0.65, 0.08, 0.02, 0.18 की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी, आपू पत्नी गोपी व रामदेव व दारा सिंह पि0 गोपी व कमला शोरता पुत्री उंगमा छीतर वल्द हरजी कौम रावत वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। प्रतिवादीगणों ने वाद में किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है एवं अनुपस्थित रहें है। प्रतिवादीगण कोई आपत्ती हो तो विभाजन प्रस्ताव के समय पेश कर सकते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम देराठू के खाता संख्या 40/38 खसरा नम्बर 3486, 3487, 3511, 3867, 3907, 3939, 3939/7007, 4226 रकबा 0.16, 0.13, 0.24, 0.17, 0.65, 0.08, 0.02, 0.18 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.5.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 12:22:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

शोरता बनाम बज्जा

दावा बाबत :– 53,188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –24 / 19
पेश करने की दिनांक – 21.2.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई सरकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के खाता संख्या 40 / 38 खसरा नम्बर 3486, 3487, 3511, 3867, 3907, 3939, 3939 / 7007, 4226 रकबा 0.16, 0.13, 0.24, 0.17, 0.65, 0.08, 0.02, 0.18 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 05 सन् **2019** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 12:22:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

शोरता बनाम बज्जा

दावा बाबत :– 53, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 24/2019
पेश करने की दिनांक – 21.2.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 3907/1 रकबा 0.27 की आराजी पर वादी शोरता पुत्री उगमा जाति रावत, खसरा नम्बर 3486/0.16, 3487/0.13, 3511/0.24, 3867/0.17, 3907/0.38, 3939/0.08, 3939/7007 रकबा 0.02, 4226/0.18 किता 8 रकबा 1.36 है0 की आराजी पर प्रतिवादीगण आपू पत्नी गोपी, 9/68 हि., कमला पुत्री उगमा 28/136 हि., छीतर पुत्र हरजी 27/68 हि., दारा सिंह पुत्र गोपी 9/68 हि. रामदेव पुत्र गोपी 9/68 हि. को खातेदार घोषित किया जाता है बैंक रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 13 माह 07 सन् 2020 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 12:22:18 IST
Reason: SelfAttested